प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2017

शैक्षणिक सत्र 2015–16 में आठवीं कक्षा हेतु वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा के तौर पर "प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा" आयोजित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। यह परीक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 30 (2) के तहत विधार्थियों को दिए जाने वाले प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए आधार स्वरूप में कार्य करेगी। दिनांक 29.09.2015 को शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा महोद्य की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में उक्त परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए व परीक्षा सम्बन्धी कार्यो का विभिन्न अभिकरणों में विभाजन किया गया। उक्त बैठक में लिए गए निर्णयानुसार उक्त परीक्षा के सफल संचालन हेतु विभिन्न एजेन्सियों को निम्नानुसार कार्य सौपें गए :–

1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के अन्तर्गत विद्यार्थियों की जिलेवार संख्यात्मक सूचना निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर से प्राप्त कर निम्नांकित कार्य सम्पादित किये जायेंगे :–

1 विद्यार्थियों के परीक्षा हेतु आवेदन ऑन लाईन करने की समस्त प्रक्रिया सम्पन्न कर परीक्षार्थियों को नामांकन आवंटित करना एवं प्रवेश पत्र ऑन लाईन करना।

2 समस्त प्रमुख छः विषयों यथा–अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सा.विज्ञान, हिन्दी, तृतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती) के प्रश्न पत्रों एवं वैकल्पिक प्रश्न पत्रों का निर्धारित समय पर निर्माण, अनुसीमन, मुद्रण करवाकर समस्त डाईट्स को सावधानीपूर्वक वितरित करवाना।

3 ओ.एम.आर. शीट (मुख्य परीक्षा एवं सत्रांकों के लिए पृथक–पृथक) परीक्षा संबंधी आवश्यक अभिलेखों का मुद्रण एवं परीक्षा केन्द्रों पर वितरण निदेशालय (प्रा.शि.) बीकानेर से प्राप्त सूचना अनुसार करना।

4 समस्त डाईट से उत्तर पुस्तिकायें जाँच पश्चात् समेकित सूची मय प्राप्तांक प्राप्त करना।

5 टी.आर. समय पर तैयार कर डाइट्स को भिजवाना ।

6 परीक्षा परिणाम ऑनलाईन घोषित करना।

7 ग्रेडिंग युक्त प्रमाण–पत्र मुद्रित करवाकर समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को समय पर भिजवाना।

8 रिजल्ट की सीडी एवं हार्ड कॉपी सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को समय पर भिजवाना।

9 कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य एवं शा॰शिक्षा तीनों विषयों की विद्यालय स्तर पर निर्धारित गतिविधि आधारित मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त प्राप्तांकों का ग्रेड मूल अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र में दर्ज करना। यह ग्रेड डाईट से प्राप्त सत्रांक के साथ प्राप्त होगी।

10 समस्त 6 विषयों–अंग्रेजी, गणित, हिन्दी, विज्ञान, सा.वि. एवं तृतीय भाषा का विद्यालय स्तर पर किए गए मूल्यांकन का 20 प्रतिशत सत्रांक (Internal Marks) समस्त जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त कर अंक तालिका में ग्रेड का इन्द्राज करना।

11 विद्यालयों/डाइट्स/ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा आदि हेतु प्रसारित करने वाले आदेश–निर्देश वेबपोर्टल shiksha.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित करना।

2 राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

1 समस्त कार्यो हेतु राज्य स्तरीय कमेटी की बैठकों का आयोजन निदेशालय, प्रांरभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के साथ समन्वय स्थापित करके करवाना ।
2 समस्त शैक्षिक कार्यों में तकनीकी सहयोग एवं सुझाव प्रदान करना ।
3 अकादमिक कार्यों हेतु राज्य स्तरीय शैक्षिक कोर कमेटी की बैठकें आयोजित करना।
4 प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण–पत्र परीक्षा का प्रारुप तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।
5 बेस लाइन आकलन हेतु विषयवार ब्ल्यू प्रिन्ट का निर्माण कर दिनांक 20.10.2016 तक राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।
6 प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विषय विशेषज्ञों की सूची जिलों से प्राप्त कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दिनांक 20.10.2016 तक प्रेषित करना।
7 जिलों से प्राप्त सूची के अनुसार कार्मिकों को नवीन ब्ल्यू प्रिन्ट की जानकारी देने हेतु क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन करना।
8 समय–समय पर आयोज्य बैठकों में अकादमिक सहयोग प्रदान करना।
9 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सत्र 2016–17 की पाठ्य–पुस्तकें दिनांक 20.10.2016 तक उपलब्ध कराना।
10 जिला शिक्षा अधिकारी, डाइट्स, ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं विद्यालय स्तर पर प्रसारित किए जाने वाले आदेश/सामग्री वेबपोर्टल shiksha.rajasthan. gov.in पर लोड करने हेतु निदेशालय प्राशि को प्रेषित करना ।

3. निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

1 कक्षा 8 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2017 के आयोजन के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश, निर्देश, परिपत्रों को जारी करना।
2 एस.आई.ई.आर.टी. से प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन उपरान्त आदेश–निर्देश जारी करना।
3 एस.आई.ई.आर.टी. से प्राप्त बजट प्रस्ताव के अनुमोदन उपरान्त समस्त डाईट्स को बजट आवंटन करना।
4 परीक्षा आयोजन हेतु वार्षिक कलेण्डर एवं समय विभाग चक्र जारी करना।
5 परीक्षा आयोजन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करना।

4 पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर :–

1 प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण–पत्र परीक्षा के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन हेतु सेल गठित करना एवं कार्मिकों एवं संसाधनों की आवश्यकता/मांग निदेशक प्रा.शि. को प्रस्तुत करना।
2 कक्षा 8 वीं के लिए प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण–पत्र परीक्षा के सफल संचालन हेतु डाईट एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मध्य पूर्व की भांति समन्वय स्थापित कर कार्य संपादित करना।
3 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इससे संबंधित आवश्यक सूचनाएँ समय पर उपलब्ध कराना।
4 डाइट, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, निदेशालय एवं एस.आई.ई.आर.टी. से सतत समन्वयन स्थापित बनाए रखना।

5 राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर

1 डायस डेटा के आधार पर कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्यात्मक सूचना दिनांक 30. 10.2016 तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं एवं एस.आई.ई.आर.टी.को प्रेषित करना।